कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक /एक–11–3/2010 छिन्दवाड़ा, दिनांक 31.–12–2019

मैं बी0 एस0 भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा, म0प्र0, सिविल कोर्ट अधिनियम 1958 की धारा–15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दं0प्र0सं0 1973 की धारा 194, 381 (2) और धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये; इस संबंध में पूर्व में प्रसारित/प्रचारित समस्त आदेशों को अतिष्ठित (Separation) करते हुये, इस न्यायिक जिला स्थापना छिन्दवाड़ा में पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त न्यायाधीशों के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों का तथा अन्य सभी सिविल न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य का विभाजन दिनांक 02.01.2020 से लागू करता हूँ, जो कि आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा :–

कमांक	**न्यायालय का नाम व स्थान**	**क्षेत्राधिकार**	**प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवायी कर निराकरण किया जाना है।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1(अ)	सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. आपराधिक प्रकरणों के अंतरण हेतु धारा 408, 409 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनपत्र। 5. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय–16 के अधीन संस्थित होने वाले प्रकरण। 6. दं0प्र0सं0 की धारा 438 एवं 439 के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्र **(अजा0अजजा0{अ0नि0}अधि0 1989, एनडीपीएस एक्ट, विद्युत अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा/सौंसर/जुन्नारदेव में प्रस्तुत आवेदन पत्रों को छोड़कर**) 7. अन्य आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

1(अ–।)	म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण, 2000 (नं.16/2001) के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश	**छिंदवाड़ा सेशन खण्ड**	1. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
1(अ–।।)	औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940(1940 का 23)की धारा 36 क ख की उपधारा 1 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश	**छिंदवाड़ा सेशन खण्ड**	1. अपमिश्रित औषधि या नकली औषधियों से संबंधित अपराधों के मामलों में विचारण करने हेतु जो उक्त अधि0 की धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग) धारा 28, धारा 28(क) धारा 28(ख) तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय है।
1(ब)	जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	**सिविल जिला छिंदवाड़ा**	**1. तहसील छिन्दवाड़ा, मोहखेड़, परासिया, उमरेठ क्षेत्र के रूपये 1,00,000,01/– (रूपये एक करोड़ एक)** एवं अधिक मूल्यांकन के ए एवं बी श्रेणी के सांपत्तिक प्रकरण। 2. ट्रेडमार्क एक्ट एवं कापीराईट एक्ट में अपील के अधीन प्रस्तुत होने वाले वाद। 3. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं रेफरेंस। 4. भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन। 5. अमरवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, जुन्नारदेव तहसील को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ न्यायालय अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 द्वारा पारित ऐसे निर्णय व जयपत्र जिनमें म0प्र0 शासन, नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय निकाय व प्राधिकरण के विरूद्ध स्वामित्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के जयपत्र पारित किये जावे,उनके विरूद्ध धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन अपील। (यदि व्यवहार न्यायालय में वाद खारिज किया गया है तो उसकी अपील उसी

			न्यायालय में होगी,जिसका उल्लेख एतद् पश्चात् कार्य विभाजन पत्रक में किया गया है)। 6. अमरवाड़ा, सौंसर, जुन्नारदेव तहसील को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ न्यायालय अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 द्वारा पारित ऐसे आदेश अंतर्गत आदेश–39 नियम–1 व 2 जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा म0प्र0शासन, नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय निकाय व प्राधिकरण के विरूद्ध जारी की जावे के विरूद्ध आदेश–43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विविध अपील। (यदि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन खारिज किया गया है तो उसकी अपील उसी न्यायालय में होगी, जिसका उल्लेख एतद् पश्चात् कार्य विभाजन पत्रक में किया गया है।) 7. धारा–24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले विविध सांपत्तिक प्रकरण। 8. भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के मामलों से उदभूत होने वाली अपीलें। 9. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 10. अन्य व्यवहार प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्र में नहीं है तथा जो जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। 11. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण। 13. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा के निर्णय/आज्ञप्ति तथा आदेशों के विरूद्ध नियमित एवं विविध सिविल अपीलें।
1(स)–	सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, छिन्दवाड़ा	तहसील छिंदवाड़ा	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक

	तहसील–छिन्दवाड़ा।		अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुघ र्टना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन।
2अ.	विशेष न्यायाधीश (अजा0अजजा0. {अत्याचार निवारण} अधिनियम) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2(अ). जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति {अत्याचार निवारण} अधिनियम 1989 के प्रकरण। 2(ब). उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व प्रतिभूति आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा। 3. उपरोक्त क्रमांक–2अ से संबंधित सभी प्रतिभूति आवेदनपत्र इसी न्यायालय में पेश किये जायेंगे। 4– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत वे मामले जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ0नि0) अधिनियम 1989 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की धारायें भी है। 5–उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व प्रतिभूति आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा।
2ब–	प्रथम अपर जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	**सिविल जिला छिन्दवाडा**	1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये सांपत्ति वाद नियमित एवं विविध सांपत्तिक अपीलें। 2. उपरोक्त सभी मामलों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।

			3. भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन। **टीप–** माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में प्राप्त होने वाले प्रकरण ही।(माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 67/पी0आर0(जे)/2018 जबलपुर दिनांक 03–05–18 अनुसार)।
2स–	प्र0अ0स0मो0दु0दा0 अधि0 के प्र0अति0स0 छिन्दवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय–समय पर अंतरित अन्य सभी ऐसे दावा। 2. ऐसे अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावाधिकरण जो कि वर्तमान में कार्यरत नही हैं; किन्तु पूर्व के किसी सुसंगत समय में कार्यरत थे और वर्तमान में रिक्त है; ऐसे सभी निराकृत मामलों के निष्पादन, अन्य अनुषंगिक भुगतान आदि की कार्यवाहियां जो कि अधिनिर्णय के बाद की, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद की हों।
3अ.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं धारा 3 (1) भ्रष्टा0 निवा0 अधि0 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश छिन्दवाड़ा द0प्र0सं0 की धारा 9 की उपधारा–3 के अधीन, छिंदवाड़ा	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा	1. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ तथा वे कार्यवाहियॉ, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों । 2. ऐसे अपर सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त हैं; किन्तु पूर्व के किसी सुसंगत समय में कार्यरत् थे; उनमें माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषंगिक कार्यवाहियां। ऐसे मामलों की अन्य कार्यवाहियां जो समय–समय पर आवश्यक हों। 3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरण, सभी जमानत आवेदनपत्र, अन्य विविध कार्यवाहियॉ जो उनके न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों से उत्पन्न होती हों ।

3ब–	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य। 2. ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त हैं; किन्तु पूर्व के किसी सुसंगत समय में कार्यरत् थे; उनमें माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषंगिक कार्यवाहियां। ऐसे मामलों के निष्पादन व अन्य विविध कार्यवाहियां। 3. चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 छिंदवाड़ा/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, छिंदवाड़ा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम/सप्तम सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञप्ति तथा आदेशों के विरूद्ध नियमित एवं विविध सिविल अपीलें।
3स–	प्र0अ0स0मो0दु0दा0 अधिकरण छिन्दवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
4 ब	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश		रिक्त न्यायालय
4 ब	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश		रिक्त न्यायालय
4 स	प्र0अ0स0मो0दु0दा0 अधिकरण छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश		रिक्त न्यायालय

5 अ.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
5 ब–	द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
5 स–	द्वि0अति0 स0मो0दु0दा0 अधिकरण छिन्दवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम मामले। 2. लोक अदालत के कार्य।
6अ.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट द0प्र0सं0 की धारा 9 की उपधारा–3 के अधीन, छिंदवाड़ा/विशेष न्यायाधीश (एनआईए एक्ट)	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा	1. सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य। 3. स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित सभी जमानत आवेदनपत्र, अन्य विविध आवेदनपत्र, प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 4. एनआईए एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदनपत्र एवं उनसे संबंधित अन्य विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ।
6 ब–	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा	सिविल जिला छिंदवाड़ा	1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य। 3. रूपये 501/– से रूपये 1000/– तक मूल्य के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनके उत्पन्न निष्पादन वाद। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिटेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट, 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील छिंदवाड़ा, परासिया क्षेत्र से संबंधित) 5. भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन। **टीप–** माह मई, जून, जुलाई, अगस्त में प्राप्त होने वाले संबंधी प्रकरण ही।(माननीय उच्च

			न्यायालय म0प्र0 के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 67/पी0आर0(जे) /2018 जबलपुर दिनांक 03–05–18 अनुसार)।
6 स–	तृतीय अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधिकरण छिन्दवाड़ा	तहसील परासिया, मोहखेड़, उमरेठ	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन। 2. लोक अदालत के कार्य।
7 अ–	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा		1. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ तथा वे कार्यवाहियॉ, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों । 2. षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की न्यायालय, जो पोक्सो एक्ट हेतु विशेष न्यायालय नामित होने से उक्त न्यायालय के पोक्सो एक्ट के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य सत्र प्रकरणों से संबंधित माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषंगिक कार्यवाहियां।
7 ब–	चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य कार्यवाहियॉ। 2. प्रत्येक माह होने वाली स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का कार्य जब श्रृखंला न्यायालय जुन्नारदेव कार्यरत हो और अन्यथा न्यायालय पंचम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा उस दिन अवकाश पर हो। 3. षष्टम अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की न्यायालय, जो पोक्सो एक्ट हेतु विशेष न्यायालय नामित होन से वर्तमान में सिविल कार्य हेतु रिक्त हैं की माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन,

			विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां।
7 स–	चतुर्थ अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधिकरण छिन्दवाड़ा		1.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 2. षष्टम अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधिकरण छिन्दवाड़ा, की न्यायालय, जो पोक्सो एक्ट हेतु विशेष न्यायालय नामित होन से वर्तमान में क्लेम कार्य हेतु रिक्त हैं की माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाहियों का निष्पादन, विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां।
8 अ–	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा एवं विद्युत अधि0 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म0प्र0विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	तहसील छिन्दवाड़ा एवं परासिया के समस्त पुलिस थाना/चौकी के क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	1. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ तथा वे कार्यवाहियॉ, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों। 2. विद्युत अधि0 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों । 3. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य।
8 ब–	पंचम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा	**सिविल जिला छिन्दवाड़ा** (तहसील पांढुर्णा, चौरई के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्रों को छोड़कर)	1. रू0 1,00,00,001/–एवं ऊपर मूल्य के समस्त सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल वाद जो कि तहसील परासिया, उमरेठ के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो। 2. न्यायालय मध्यस्थ अधिनियम द्वारा पारित निर्णय/डिक्री से उत्पन्न निष्पादन वाद एवं निष्पादन के सर्टिफिकेट न्यायिक जिला छिंदवाड़ा, संपूर्ण मध्यप्रदेश व अन्य प्रांतो से प्राप्त होने वाले प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अध्याय 7 एवं 8 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित

			आदेशों की अपीलें। 5. भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–64, 65 के अधीन निर्देश/कलेक्टर्स कथन। **टीप–** माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में प्राप्त होने वाले प्रकरण ही।(माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 67/पी0आर0(जे)/2018 जबलपुर दिनांक 03–05–18 अनुसार)। 6. रू0 501/–से रू0 1000/–तक के मूल्य के लघुवाद (म0 प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7 जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामले एवं अन्य कार्यवाहियां। 8. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 परासिया, प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश परासिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 परासिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 परासिया द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञप्ति तथा आदेषों के विरूद्ध नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 9. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 परासिया, प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीष परासिया द्व ारा भारतीय उत्ताधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीले।
8 स–	पंचम अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधिकरण छिन्दवाड़ा		1. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य।
9 अ.	षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (एक्सक्लूसिव कोर्ट फॉर पोक्सो एक्ट 2012 केसेस)	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा (रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी/279 दिनांक 14.01.2020 के अनुसार तहसील अमरवाड़ा, चौरई, हर्रई, अमरवाड़ा से	1. सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य। 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में प्रस्तुत होने वाले विशेष सत्र प्रकरण, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग एवं बलात्संग व सामूहिक बलात्संग सहित मृत्यु के

		संबंधित पोक्सो प्रकरणों को छोड़कर समस्त सत्र खंड छिंदवाड़ा के पोक्सो एक्ट प्रकरण)	सभी प्रकरण (तहसील अमरवाड़ा, चौरई, हर्रई, चांद क्षेत्र में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) उनमें माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार, विचारण योग्य विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा सभी जमानत आवेदनपत्र एवं उक्त प्रकरणों से संबंधित अन्य समस्त संबंधित कार्यवाहियॉ। (ऐसे प्रकरण जो सीधे एकमात्र विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवा.) अधिनियम 1989, के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले हैं या उन्हीं के समक्ष विचारण योग्य हो, को छोड़कर।)
9 ब.	षष्टम अपर जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा		**रिक्त न्यायालय**
9 स.	षष्टम अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0 अधिकरण छिंदवाड़ा		**रिक्त न्यायालय**
10 अ.	अपर सत्र न्यायाधीश, सौंसर एवं विद्युत अधि0 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म0प्र0विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	सत्र खण्ड छिंदवाड़ा की तहसील सौंसर , बिछुआ के समस्त आरक्षी केंद्र एवं संबंधित चौकियॉ एवं तहसील सौंसर, बिछुआ एवं पांढुर्णा के समस्त पुलिस थाना/चौकी के क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	1. सौंसर न्यायालय द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेगे, इसी प्रकार न्या0मजि0 प्र0श्रे0 सौंसर एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सौंसर द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशो से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपीले, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेगें तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेगें। सेशन प्रकरण, दांडिक अपीले एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संधारित पंजियों में करेगें तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेगें। 2. सुसंगत समय के अपर सेशन न्यायाधीश, सौंसर/श्रृंखला न्यायालय, सौंसर द्वारा निराकृत प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियॉ एवं अपील न्यायालयों के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियॉ। 3. सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक रिविजन एवं विविध दांडिक कार्यवाहियॉ। 4. विद्युत अधि0 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों ।

10 ब–	अपर जिला न्यायाधीश, सौंसर	सिविल जिला छिंदवाड़ा की तहसील सौंसर, बिछुआ	1. रू0 1,00,00,001/–एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलें जो तहसील सौंसर, बिछुआ के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हों। 2. दिवालियां अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सौंसर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील सौंसर क्षेत्र से संबंधित) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं । 6. रू0 501/–से रू0 1000/– तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य । 8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही । 11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 12. सौंसर में कार्यरत सभी सिविल जज वर्ग–1, वर्ग–2 के द्वारा सिविल वाद में दिये जाने वाले निर्णय, विविध मामलों के आदेश, ग्राम न्यायालयों द्वारा पारित आदेश व निर्णय के विरूद्ध अपील, विविध अपील (जिनके बारे में इस कार्य विभाजन आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है)। 13. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 सौंसर के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें। 14. सुसंगत समय के अपर जिला न्यायाधीश,

			सौंसर/श्रृंखला न्यायालय सौंसर द्वारा निराकृत सभी सिविल/अनुपूरक/ नियमित कार्यवाहियों के आदेश/जयपत्रों का निष्पादन आदि। 15. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
10 स–	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दु0दा0अधि0 सौंसर	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील सौंसर एवं बिछुआ क्षेत्र में स्थित सभी पुलिस थाना क्षेत्राधिकार।	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन । 2. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 3. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 4. अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सौंसर (श्रृंखला न्यायालय), द्वारा निराकृत क्लेम मामलों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां। 5. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य।
11 अ.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौंसर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सौंसर	सत्र खण्ड छिंदवाड़ा की तहसील पांढुर्णा के समस्त आरक्षी केंद्र एवं संबंधित चौकियॉ	1. पांढुर्णा न्यायालय द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेगे, इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट पांढुर्णा द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशों से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपीले, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेगें तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेगें। सेशन प्रकरण, दांडिक अपीले एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संधारित पंजियों में करेगें तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेगें। 2. सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक रिविजन एवं विविध दांडिक कार्यवाहियॉ।
11 ब–	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सौंसर की न्यायालय के अतिरिक्त	सिविल जिला छिंदवाड़ा की तहसील पांढुर्णा	1. रू0 1,00,00,001/–एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलें जो तहसील पांढुर्णा के

	न्यायाधीश, सौंसर		क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हों। 2. दिवालियां अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पांढुर्णा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील पांढुर्णा क्षेत्र से संबंधित) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं । 6. रू0 501/–से रू0 1000/– तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य । 8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही । 11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 12. पांढुर्णा में कार्यरत सभी सिविल जज वर्ग–1, वर्ग–2 के द्वारा सिविल वाद में दिये जाने वाले निर्णय, विविध मामलों के आदेश, ग्राम न्यायालयों द्वारा पारित आदेश व निर्णय के विरूद्ध अपील, विविध अपील (जिनके बारे में इस कार्य विभाजन आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है)। 13. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 पांढुर्णा के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें। 14. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
11 स–	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दु0दा0अधि0	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुघ टिना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस

	सौंसर की न्यायालय के अतिरिक्त सदस्य सौंसर	तहसील पांढुर्णा क्षेत्र में स्थित सभी पुलिस थाना क्षेत्राधिकार।	तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन । 2. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 3. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 4. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य।
12 अ.	अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा (एक्सक्लूसिव कोर्ट फॉर पोक्सो एक्ट 2012 केसेस)	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हर्रई, चौरई (रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी/279 दिनांक 14.01.2020 के अनुसार तहसील अमरवाड़ा, चौरई से संबंधित पोक्सो प्रकरण)	1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में प्रस्तुत होने वाले सत्र प्रकरण, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग एवं बलात्संग व सामूहिक बलात्संग सहित मृत्यु के सभी प्रकरण(तहसील अमरवाड़ा, हर्रई एवं चौरई के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों से उद्धत प्रकरण) उनमें माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले अभिलेख में दिये गये आदेशानुसार, विचारण योग्य विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां। (ऐसे प्रकरण जो सीधे एकमात्र विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवा.) अधिनियम 1989, के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले हैं या उन्हीं के समक्ष विचारण योग्य हो, को छोड़कर।)
12 ब–	अपर जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा		**रिक्त न्यायालय**
12 स–	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दु0दा0अधि0 अमरवाड़ा		**रिक्त न्यायालय**
13 अ.	अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अमरवाड़ा एवं विद्युत अधि0 2003 (2003 की	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हर्रई के सभी आरक्षी केन्द्र एवं समस्त	1. अमरवाड़ा, हर्रई की समस्त न्यायालयों द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेंगे, इसी प्रकार न्या0मजि0 प्र0श्रे0 अमरवाड़ा, हर्रई एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अमरवाड़ा, हर्रई द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशों से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपीलें, दांडिक

	संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म0प्र0विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	चौकियां एवं तहसील अमरवाड़ा एवं हरई के समस्त पुलिस थाना/चौकी के क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	पुनरीक्षण प्राप्त करेगें तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेगें। सेशन प्रकरण, दांडिक अपीलें एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संधारित पंजियों में करेगें तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेगें। 2. सुसंगत अपर सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा द्वारा निराकृत प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियॉ एवं अपील न्यायालयों के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियॉ। 3. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ तथा वे कार्यवाहियॉ, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों। 4. अमरवाड़ा, हर्रई क्षेत्र के समस्त थानों से उद्भुत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हो । 5. अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) अमरवाडा द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त कार्यवाहियां।
13 ब–	अपर जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अमरवाड़ा	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हर्रई	1. रू0 1,00,00,001/–एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलें जो तहसील अमरवाड़ा, हर्रई के क्षेत्राधिकार के हों। 2. दिवालियां अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा, हर्रई द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील अमरवाड़ा, हर्रई क्षेत्र से संबंधित) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं । 6. रू0 501/–से रू0 1000/– तक के मूल्य

			के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य । 8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही । 11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 12. श्रृंखला न्यायालय हर्रई के सभी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति तथा आदेषों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 13. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–2 अमरवाड़ा के सभी न्यायालय के सभी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति तथा आदेषों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 14. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 अमरवाड़ा के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीले। 15. अपर जिला न्यायाधीश (फा.ट्रै.को.) अमरवाड़ा एवं सुसंगत अपर जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां।
13 स–	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दु0दा0अधि0 अमरवाड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त सदस्य अमरवाड़ा	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, हर्रई क्षेत्र में स्थित सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्राधिकार एवं	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

		समस्त चौकियां।	2. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन । 3. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 4. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 5. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिंदवाड़ा द्व ारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(फा.ट्रै.को.)अमरवाड़ा एवं सुसंगत अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अमरवाड़ा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां। 6. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
14 अ	अपर सत्र न्यायाधीश, जुन्नारदेव एवं विद्युत अधि0 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म0प्र0विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/	सत्र खण्ड छिंदवाड़ा की तहसील जुन्नारदेव, तामिया के समस्त आरक्षी केंद्र एवं संबंधित चौकियॉ एवं तहसील जुन्नारदेव एवं तामिया के समस्त पुलिस थाना/चौकी के क्षेत्रों उद्भूत होने	1. तहसील जुन्नारदेव एवं तामिया की समस्त न्यायालयों द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेगे, इसी प्रकार न्या0मजि0 प्र0श्रे0 जुन्नारदेव एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट जुन्नारदेव द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशो से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपीले, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेगें तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेगें। सेशन प्रकरण, दांडिक अपीलें एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संधारित पंजियों में करेगें तथा अंतरण आदेश एवं अन्य संबंधित प्रकरण प्राप्त करेगें। 2. सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपील,

	21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	दांडिक रिविजन एवं विविध दांडिक कार्यवाहियॉ। 3. सुसंगत समय के अपर सेशन न्यायाधीश, जुन्नारदेव/श्रृंखला न्यायालय, जुन्नारदेव द्वारा निराकृत प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियॉ एवं अपील न्यायालयों के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियॉ एवं अन्य समस्त कार्यवाहियॉ। 4. विद्युत अधि0 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों ।
14 ब.	अपर जिला न्यायाधीश, जुन्नारदेव	सिविल जिला छिंदवाड़ा की तहसील जुन्नारदेव, तामिया	1. रू0 1,00,00,001/–एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलें जो तहसील जुन्नारदेव, तामिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हों। 2. दिवालियां अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील जुन्नारदेव/दमुआ/तामिया क्षेत्र से संबंधित) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं । 6. रू0 501/–से रू0 1000/– तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य । 8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही । 11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने

			वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 12. जुन्नारदेव एवं तामिया में कार्यरत एवं पूर्व में कार्यरत रही हों ऐसी सभी सिविल जज वर्ग–1, वर्ग–2 के द्वारा सिविल वाद में दिये जाने वाले निर्णय, विविध मामलों के आदेश, ग्राम न्यायालयों द्वारा पारित आदेश व निर्णय के विरूद्ध अपील, विविध अपील (जिनके बारे में इस कार्य विभाजन आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है)। 13. समस्त सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा भारतीय उत्ताधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें। 14. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले। 15. सुसंगत समय के अपर जिला न्यायाधीश, सौंसर/श्रृंखला न्यायालय सौंसर द्वारा निराकृत सभी सिविल/अनुपूरक/ नियमित कार्यवाहियों के आदेश/जयपत्रों का निष्पादन आदि।
14 स –	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दु0दा0अधि0 जुन्नारदेव	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील जुन्नारदेव, तामिया क्षेत्र में स्थित सभी आरक्षी केंद्र एवं चौकियां।	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन । 2. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 3. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 4. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के कार्य । 5. सुसंगत अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जुन्नारदेव एवं श्रृंखला न्यायालय जुन्नारदेव, द्वारा निराकृत क्लेम मामलों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।
15 अ	अपर सत्र न्यायाधीश, चौरई	सत्र खण्ड छिन्दवाड़ा की	1. चौरई की समस्त न्यायालयों द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण प्रस्तुत किये जावेंगे, इसी प्रकार

	एवं विद्युत अधि0 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 153 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (म0प्र0विधि और विधायी विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17/(ई)/83/03/21/ब(एक)/625/2020 अनुसार)	तहसील चौरई, चॉद के सभी आरक्षी केन्द्र एवं समस्त चौकियां एवं तहसील चौरई एवं चॉद के समस्त पुलिस थाना/चौकी के क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन मामले।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई एवं अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, चौरई द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश तथा आदेशो से उत्पन्न क्रमशः दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण प्राप्त करेगें तथा आवश्यक सुसंगत आदेश पारित करेगें। सेशन प्रकरण, दांडिक अपीलें एवं दांडिक पुनरीक्षण का पंजीयन प्रत्येक रविवार प्रस्तुतकार प्रकरण लाकर सेशन न्यायालय में संधारित पंजियों में करेगें तथा अंतरण आदेश प्राप्त करेगें। 2. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले। 3. विद्युत अधि0 2003 की धारा 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों । 4. सेशन न्यायाधीश द्वारा अंतरित सेशन प्रकरण, विशेष प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, अन्य विविध कार्यवाहियॉ तथा वे कार्यवाहियॉ, जो उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उत्पन्न होती हों।
15 ब	अपर जिला न्यायाधीश, चौरई	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील चौरई, चॉद	1. रू0 1,00,00,001/–एवं उपर मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामलें जो तहसील चौरई, चॉद के क्षेत्राधिकार के हों। 2. दिवालियां अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें। 3. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी चौरई द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 4. माध्यस्थम अधिनियम के प्रकरण एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सीलेशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 34, 36 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन/याचिकायें। (केवल तहसील चौरई, चॉद क्षेत्र से संबंधित) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत याचिकाएं । 6. रू0 501/–से रू0 1000/– तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद।

			7. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामले एवं अन्य कार्य । 8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 9. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 10. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद । 11अ. हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद व उनके निष्पादन व अन्य कार्यवाही । 11ब. इंडियन डायवोर्स एक्ट के अधीन पेश होने वाले वाद एवं उससे संबंधित निष्पादन व अन्य कार्यवाही। 12. समस्त सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–2 चौरई के सभी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति तथा आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपीलें। 13. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, चौरई के न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में पारित आदेशों की अपीलें। 14. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
15 स	अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दु0दा0 अधि0 चौरई	सिविल जिला छिन्दवाड़ा की तहसील चौरई, चांद क्षेत्र में स्थित सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्राधिकार एवं समस्त चौकियां।	1. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा से बाहर घटित मोटर वाहन दुर्घटना जिसके आवेदक अथवा अनावेदक क्षेत्राधिकार की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान में प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Detailed Accident

			Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन । 3. अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 4. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 5. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण छिंदवाड़ा द्व ारा समय समय पर अंतरित क्लेम प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में निराकृत होने वाले सभी मामले।
16.	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य कार्य । 2. दिवालिया वाद। 3 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 (1) तथा 172 (1) और (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 5. ग्राम न्यायालय (जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित निर्णय/आदेषों के विरूद्ध धारा 31(क) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। 6. रू0 500/–तक के मूल्य के लधुवाद (म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन वाद। 7. प्रथम सिविल न्याया0 वर्ग–1 छि0 के न्याया0 के अति0 न्यायाधीश, छि0 द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहिया एवं अपीलीय न्यायालय के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां। 8. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 के ऐसे सभी न्यायालय, जो रिक्त हैं; उन न्यायालयों से निर्णीत मामलों की सभी सुसंगत, अनुषंगिक, निष्पादन आदि कार्यवाहियां, अपीलीय न्यायालय से प्राप्त ऐसे मामलों में अपीलीय आदेश का निष्पादन। 9. स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत का कार्य ।
17	**<u>द्वितीय</u> सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा**	**तहसील मोहखेड**	1. रू0 1/– से रू0 1,00,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। 2. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध

			कार्यवाहियॉ। 3. लोक अदालत के कार्य। 4. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट को आबंटित समस्त कार्य। (न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, छिन्दवाड़ा के दौरे अथवा अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में)
18.	**<u>तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा</u>**	**<u>रिक्त न्यायालय</u>**	
	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, छिन्दवाड़ा तथा रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट	(सिविल जिला छिन्दवाड़ा) राजस्व तहसील छिन्दवाड़ा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/ जनपद पंचायते तथा अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई को सम्मिलित करते हुए जहॉ तक छिंदवाड़ा की जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है (छिंदवाड़ा ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की सीमा के भीतर आने वाली स्थानीय क्षेत्राधिकार सम्मिलित नहीं होगा)	1. रु0 25,000/– तक मूल्य के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत सिविल मामलें, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामला। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत अंतरित सिविल मामलें, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामलें । 3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट से संबंधित आवंटित समस्त कार्य। 4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अवकाश पर रहने की दशा में उनसे संबंधित समस्त कार्य। 5. प्रोटोकॉल ड्यूटी। 6. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें, विविध प्रकरण तथा अन्य कार्यवाहियां।

19	चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा	तहसील छिंदवाड़ा	1. रूपये 1/–से रू0 1,00,00,000 तक मूल्य के सिविल मामले तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां । 2. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 3. लोक अदालत के कार्य।
20.	पंचम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य।
21.	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत का कार्य। 3. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, प्रथम सिविल न्याया0 वर्ग–2, छिंदवाडा के प्रथम/तृतीय अति. न्याया0 (ट्रेनी) छिंदवाड़ा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से वापस प्राप्त प्रकरण की कार्यवाहियॉ।
22.	द्वितीय सिविल न्याया0 वर्ग–2 छिन्दवाड़ा		रिक्त न्यायालय
23.	तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 छिन्दवाड़ा		रिक्त न्यायालय
24.	**चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 छिन्दवाड़ा**		रिक्त न्यायालय
25.	**पंचम सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, छिंदवाडा**		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय– समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत का कार्य। 3. द्वितीय/चतुर्थ/षष्टम/सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से वापस प्राप्त प्रकरण की कार्यवाहियॉ।
26.	षष्ठम सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, छिंदवाडा	**रिक्त न्यायालय**	––
27.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के प्रथम अति0 न्यायाधीश		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य।

	(ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा		
28.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के द्वितीय अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य।
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के तृतीय अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य।
29 ए	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के षष्टम अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य।
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य।
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा के न्याया0 के पंचम अति0 न्यायाधीश (ट्रेनी जज) छिंदवाड़ा		1. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 2. लोक अदालत के कार्य।
32.	सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, अमरवाडा	तहसील अमरवाड़ा, हर्रई	**1**. रूपये 5,00,001/– से रूपये 1,00,00,000 /– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। **2**. दिवालिया प्रकरण । **3.** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद। **4.** म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 (1) तथा 172 (1) और (2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
		तहसील अमरवाड़ा, हर्रई के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	**5**. रू0 500/–तक के मूल्य के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद । **6.** ग्राम न्यायालय (जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्व ारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध धारा 31(क) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। **7**. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, अमरवाड़ा के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश, अमरवाड़ा द्वारा

			निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय के रिमांड प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां। **8**. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलें एवं अन्य कार्यवाहियां। **9.** लोक अदालत का कार्य । नोट :– जिस अवधि में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, अमरवाड़ा, श्रृंखला न्यायालय के रूप में हर्रई में कार्यरत रहेगी, उक्त अवधि में तहसील अमरवाड़ा के रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं अन्य कार्य एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, अमरवाड़ा की न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
33	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, अमरवाड़ा	तहसील अमरवाड़ा	**1**. रूपये 1/– से रूपये 5,00,000 /– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। 2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय– समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 3. लोक अदालत का कार्य। नोट :– जिस अवधि में श्रृंखला न्यायालय हर्रई कार्यरत नहीं रहेगी, उक्त अवधि में तहसील हर्रई के रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यो में पीठासीन अधिकारी, श्रृंखला न्यायालय हर्रई के रूप में कार्यवाही करेंगे।
34	श्रृंखला न्यायालय हर्रई	तहसील हर्रई	1. रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद । 2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें, निष्पादन वाद एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 3. लोक अदालत का कार्य ।
35	सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, चौरई	**तहसील चौरई,चॉद**	1. रूपये 5,00,001/– से रूपये 1,00,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. दिवालिया प्रकरण । 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 (1) तथा 172 (1) और (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत

			प्रकरण। 5. ग्राम न्यायालय (जहॉ ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध धारा 31(1) के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका। 6. रूपये 500/– तक मूल्य के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न निष्पादनवाद। 7. जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 8. लोक अदालत का कार्य। 9. प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 छिंदवाड़ा के अति0 न्यायाधीश चौरई, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चौरई द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
36	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चौरई		रिक्त न्यायालय
37	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, चौरई		रिक्त न्यायालय
38	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 चौरई, के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश चौरई	तहसील चौरई,चॉद	<u>1. रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– मूल्य तक के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामला।</u> 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 3. लोक अदालत का कार्य। 4. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 चौरई/श्रृंखला न्यायालय चौरई द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।
39	सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 सौंसर	तहसील बिछुआ/सौंसर	1. रूपये 5,00,001/– से 1,00,00,000/– मूल्य तक के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल वाद। 2. दिवालिया प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत

			प्रकरण।
		तहसील सौसर, बिछुआ के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	5. रूपये 500/– तक के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा–9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 6. ग्राम न्यायालय(जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध धारा 31(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 8. लोक अदालत का कार्य। 9. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 सौंसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सौंसर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, सौंसर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सौंसर/द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, सौंसर द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।
40	सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 सौंसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सौंसर		रिक्त न्यायालय
41	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, सौंसर	तहसील <u>बिछुआ/सौंसर</u>	1. रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामला । 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 3. लोक अदालत का कार्य। 4. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सौंसर द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।
42	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, सौंसर	रिक्त न्यायालय	
43	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, सौंसर	रिक्त न्यायालय	
44	सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, पांढुर्णा	तहसील पांढुर्णा	1. रूपये 1/– से 1,00,00,000/– मूल्य तक के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल वाद। (रुपये 25,000/– तक के मूल्य के ग्राम न्यायालय अधिनिमय 2008 {क्रमांक 4 सन् 2009} के ग्राम न्यायालय, पांढुर्णा से

			संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)। 2. दिवालिया प्रकरण । 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद । 4. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 पांढुर्णा द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।
		तहसील पांढुर्णा बिछुआ ,सौसर के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	6. रूपये 500/– तक के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा–9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 7. ग्राम न्यायालय(जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध धारा 31(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका।
45	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, पांढुर्णा	रिक्त न्यायालय	
	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पांढुर्णा	(सिविल जिला छिन्दवाड़ा) राजस्व तहसील पांढुर्णा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/ ज्नपद पंचायते तथा अन्य ऐसी तहसील, यदि कोई को सम्मिलित करते हुए जहॉ तक पांढुर्णा की जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है पांढुर्णा, ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत की सीमा के भीतर आने वाली	1. रु0 25,000/– तक मूल्य के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत सिविल मामलें, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामला। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) के अंतर्गत अंतरित सिविल मामले, निष्पादन वाद एवं विविध सिविल मामले। 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामले एवं अन्य कार्य।

		स्थानीय क्षेत्राधिकार सम्मिलित नहीं होगा)	
46	सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, परासिया	तहसील परासिया, उमरेठ	1. रूपये 5,00,001/– से रूपये 1,00,00,000 /– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामले। 2. दिवालिया प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
		तहसील परासिया, उमरेठ के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	5. रूपये 500/– तक के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा – 9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 6. ग्राम न्यायालय (जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो) द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध धारा 31 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलें एवं अन्य कार्यवाहियॉ। 8. प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश परासिया, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 9. लोक अदालत का कार्य ।
47	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया		1. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय– समय पर अंतरित सिविल मामले, निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 2. लोक अदालत का कार्य।
48	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, परासिया	तहसील परासिया, उमरेठ	1. रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामला तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद । 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 3. लोक अदालत का कार्य । 4. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 परासिया, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय

			न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।
49	सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, जुन्नारदेव की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जुन्नारदेव (जामई)	तहसील जुन्नारदेव (जामई), तामिया	1. रुपये 5,00,001/– से 1,00,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल मामला। 2. दिवालिया प्रकरण । 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। 4. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, की धारा 139 (1) तथा 172 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
		तहसील जुन्नारदेव (जामई), तामिया के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के क्षेत्र को छोड़कर	5. रूपये 500/– तक के लघुवाद (म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा – 9 के अन्तर्गत) प्रस्तुत प्रकरण एवं निष्पादन वाद। 6. ग्राम न्यायालय(जहां ग्राम न्यायालय प्रारंभ हो)द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध धारा 31(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल मामलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 8. सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, जुन्नारदेव (जामई)/प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 9. लोक अदालत का कार्य । नोट :– जिस अवधि में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, जुन्नारदेव, श्रृंखला न्यायालय के रूप में तामिया में कार्यरत रहेगी, उक्त अवधि में तहसील जुन्नारदेव जामई के रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जुन्नारदेव एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, जुन्नारदेव द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ एवं अन्य कार्य।
50	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, जुन्नारदेव (जामई)	तहसील जुन्नारदेव (जामई)	1. रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद । 2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें, निष्पादन वाद एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 3. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जुन्नारदेव द्वारा

			निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न निष्पादन, विविध वाद एवं कार्यवाहियॉ तथा अपीलीय न्यायालयों से वापिस प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 4. लोक अदालत का कार्य । नोट :– जिस अवधि में श्रृंखला न्यायालय तामिया कार्यरत नहीं रहेगी, उक्त अवधि में तहसील तामिया के रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यो में पीठासीन अधिकारी श्रृंखला न्यायालय तामिया के रूप में ही कार्यवाही करेंगे।
51	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, जुन्नारदेव (जामई)	रिक्त न्यायालय	–––
52	श्रृंखला न्यायालय तामिया	तहसील तामिया	1. रूपये 1/– से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल मामलें तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध व्यवहार वाद । 2. जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल मामलें, निष्पादन वाद एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 3. लोक अदालत का कार्य ।

<u>नोट</u> :–लोक अदालत छिन्दवाड़ा/सौंसर/अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/पांढुर्णा/जुन्नारदेव/तामिया/हर्रई के माध्यम से निराकृत सिविल मामलों से संबंधित निष्पादन कार्यवाहियां आदि प्रकरण अंतरित किए जाने वाले न्यायालय (मूल न्यायालय) में ही प्रस्तुत किए जावें।

1– केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय में पंजीयन उपरान्त संबंधित प्रकरण, इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को अंतरित माना जावेगा।

2– इस कार्य विभाजन पत्रक का, पूर्व से लंबित मामलों के श्रवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् उक्त मामले यथावत जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारण यथावत् किया जावेगा।

3– समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं वर्ग–2 को कार्य विभाजन का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर रहेगा।

4– रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य एवं माननीय उच्च न्यायालय, अपील न्यायालय से संबंधित कार्य उनके प्रभारी न्यायालय द्वारा सम्पादित किया जावेगा। यदि प्रभारी न्यायालय का पद रिक्त है तो क्रमानुसार आगामी प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य किया जावेगा। इस कार्य विभाजन आदेश के अतिरिक्त यदि कोई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से रिमांड होकर वापस प्राप्त होता है तो उक्त मामला स्वयमेव ही उसके प्रभारी न्यायालय को अंतरित होना माना जावेगा, पृथक से अन्तरण आदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। न्यायालय रिक्त होने

अथवा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में आवश्यक कार्य का प्रभार पृथक से जारी आदेश के अनुसार रहेगा।

5— रिक्त न्यायालय के संबंध में समस्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय को उसके प्रभारी न्यायालय द्वारा ही दी जायेगी एवं रिक्त न्यायालय के अपील/रिवीजन से प्राप्त अभिलेख का नतीजा पंजी में दर्ज कराकर अभिलेखागार में जमा करने की कार्यवाही भी प्रभारी न्यायालय के द्वारा ही की जावेगी।

6— किसी विचाराधीन दांडिक या सिविल वाद में कोई भी अंतरिम आवेदनपत्र पेश होते हैं, तो सीधे उसी संबंधित विचारण न्यायालय में पेश किया जायेगा; किन्तु फाईलिंग काउण्टर पर पंजीयन/प्रविष्टि हेतु उसे भेजते हुये वह आवेदन निराकृत होने की दशा में संबंधित प्रस्तुतकार उसका निराकरण भी दर्ज करायेंगे।

7— ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में अत्यावश्यक एवं तात्कालिक सुनवायी प्रकृति के वादों एवं आवेदनों को ग्रहण एवं निराकृत करने की कार्यवाही, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा की जा सकेगी यदि संबंधित न्यायालय रिक्त हो अथवा पीठासीन न्यायाधीश अवकाश पर हों तो उस न्यायालय के प्रभारी न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

8— कोई भी जमानत आवेदनपत्र, विविध आवेदनपत्र के आधार पर पृथक से प्रकरण दर्ज होता है और उसमें कोई भी आदेश पारित होता है तो मूल मामले में उस आदेश की प्रति शामिल किये जाने का निर्देश सदैव प्रस्तुतकार को संबंधित न्यायालय द्वारा दिया जायेगा।

छिन्दवाड़ा
दिनांक :— 31.—12—2019

(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक– छिन्दवाड़ा, दिनांक 31.–12–2019

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय छिन्दवाड़ा।
3. विशेष न्यायाधीश (अजा0अजजा {अ0नि0}अधिनियम) प्र0अ0जि0न्या0के प्र0अति0जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा/सौंसर/अमरवाड़ा
5. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
6. श्रृंखला न्यायालय, जुन्नारदेव।
7. अपर जिला न्यायाधीश सौंसर/अमरवाडा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सौंसर/अमरवाड़ा
8. प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 छिंदवाड़ा/ सौंसर/अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/जुन्नारदेव
9. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया/
10. प्रथम/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छिंदवाड़ा/ अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/जुन्नारदेव/सौंसर
11. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश चौरई
12. श्रृंखला न्यायालय हर्रई/तामिया
13. कोर्ट मैनेजर, छिंदवाड़ा
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा की ओर

कार्य विभाजन आदेश क्रमांक .....छिंदवाड़ा, दिनांक .....2019 की छायाप्रति आपके ईमेल पते पर प्रेषित की गई है। अतः उक्त संबंध में सूचना आपकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

15. फाइलिंग सेक्शन जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा।
16. प्रशासनिक अधिकारी, छिंदवाड़ा
17. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा/पांढुर्णा/सौंसर/अमरवाड़ा/चौरई/परासिया/हर्रई/तामिया जुन्नारदेव की ओर कार्य विभाजन आदेश क्रमांक .....छिंदवाड़ा दिनांक.....2019 की छायाप्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा (म0प्र0